

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-7/स्था0 (अ0नि0)-01-03/2013.....2201..... मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के निम्नांकित अवर निरीक्षक उत्पाद को निम्न प्रकार से स्थानान्तरित करते हुये कॉलम-05 में अंकित जिला में पदस्थापित किया जाता है -

क्र0 स0	अवर निरीक्षक उत्पाद का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन का जिला	प्रस्तावित पदस्थापन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री अरुण कुमार	जहानाबाद	शेखपुरा	नालंदा	

2. स्थानान्तरित अवर निरीक्षक उत्पाद 07 दिनों के अंदर नवपदस्थापन जिला में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।
3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
4. प्रस्ताव में आयुक्त उत्पाद का अनुमोदन प्राप्त है।

(श्रीकृष्ण पासवान)

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 7/स्था0 (अ0नि0)-01-03/2013 2201

पटना, दिनांक 29/06/18

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 7/स्था0 (अ0नि0)-01-03/2013 पटना, दिनांक 29/06/18
- 2201

प्रतिलिपि :- संबंधित समाहर्ता/ संबंधित उपायुक्त उत्पाद/ संबंधित अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे स्थानान्तरित अवर निरीक्षक उत्पाद को योगदान देने हेतु निर्धारित समय सीमा के अंदर विरमित कर देंगे।

संयुक्त आयुक्त उत्पाद
बिहार, पटना।